उनका कहना है कि इस सरकार के सत्ता में आने के बाद अत्याचार बढ़ गए हैं, यह सच नहीं है। मुझे यह कितनी बार कहना पड़ेगा? जो व्यक्ति आंखों के होते हुए भी नहीं देख सकता तो उससे अधिक अन्धा और कौन हो सकता है। मैं क्या कर सकता हूं? अतः, उन्हें सन्तुष्ट करने के लिए प्रयास करने का कोई लाभ नहीं। तथापि मुझे कहना है कि हम इस बात के लिए हर प्रयत्न कर रहे हैं कि इन मामलों को शीघ्र हल निकल सके। ऐसा पहले नहीं किया जा सका; इसीलिए नहीं कि हम आयोग्य थे बल्कि उनके परिस्थितियों के कारण। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता। लेकिन हमें यह देखना है कि हम विशेष अभियान चलायें। कार्यवाही करने का काम राज्यों का है और मैंने राज्यों को लिखा है वह इस बात को देखें कि जहां कहीं भी भूमि हरिजनों के अधिकार में हैं, उन्हें वहां से हटाने की अनुमति न दी जाये और उन्हें पूर्ण संरक्षण दिया जाये तथा जो व्यक्ति उन्हें हटाने का प्रयत्न करें उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये। उन्हें दंड देना राज्यों का कार्य है। यदि प्राधिकारियों द्वारा कहीं गलती से हरिजनों को भूमि दी गयी है तो जैसा कि पिछली सरकार में हुआ और उस भूमि को सही व्यक्ति को दिलाना है तो उस मामले में भी उसी के बराबर दूसरी भूमि हरिजन को दी जानी चाहिए ताकि वह भूमिहीन न हो। यही बात मैंने कही थी।

मेरे माननीय मित्र चाहते हैं कि हम बिहार में राष्ट्रपति शासन घोषित कर दें। मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहूंगा। मैं यह सभा के निर्णय के लिए छोड़ता हूं कि यह मांग उचित है अथवा नहीं।

श्री पी० वेंकटासुब्बैया : श्री नरसिम्हा रेडडी ने नियम 377 के अन्तर्गत इस मामले को सभा में उठाया था .....

श्री मोरार जी देसाई : मैंने उत्तर भेज दिया है।

श्री पी० वेंकटासुब्बैया ऐसा नहीं कि सभा को इस तक की जानकारी नहीं है। मैंने केवल इसी बल पर ऐसा कहा है। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं दो पत्रों को सभा-पटल पर रखने को तैयार हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रधान मन्त्री एक वक्तव्य देंगे.....

श्री बी० के० नायर (मावेलिकरा) : क्या आपने भू-स्वामियों से गैर-लाइसेंस वाली बन्दूकें वापस लेने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला अब समाप्त हुआ। प्रधान मन्त्री दूसरा वकतव्य देने वाले हैं।

पिछड़ी जाति आयोग की नियुक्ति के बारे में वक्तव्य

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : महोदय, काफी समय से पिछड़े वर्गों के कल्याण का प्रश्न सरकार का ध्यान आकृष्ट किए हुए है। सरकार जुलाई, 1978 में अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग की स्थापना पहले ही कर चुकी है।

2. मुझे सदन को यह सूचना देते हुए प्रसन्नता है कि सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 340 के उपबन्धों के अधीन पिछड़े वर्गों की सामाजिक तथा शैक्षिक दशाओं की जांच करने के लिए अब एक आयोग गठित करने का निर्णय किया है। तदनुसार इस प्रयोजन के लिए एक आयोग गठित किया गया है जिसके निम्नलिखित सदस्य हैं :—

1. श्री बी० पी० मंडल संसद सदस्य	अध्यक्ष
2. श्री दीवान मोहन लाल	सदस्य
3. श्री आर० आर० भोले	सदस्य
4. श्री के० सुब्रह्मनियम	सदस्य
5. श्री दीनबन्धु साहा	सदस्य

3. आयोग के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे :—

(i) सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने के लिए मानदण्ड निर्धारित करना;

(ii) सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के ऐसे ज्ञात नागरिकों के सुधार के लिए उठाये जाने वाले कदमों की सिफारिश करना;

(iii) नागरिकों के ऐसे पिछड़े वर्गों जिनका केन्द्र तथा राज्य सरकारों/संघशासित प्रशासनों दोनों की सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं हैं, के पक्ष में नियुक्तियों अथवा पदों में आरक्षण के लिए प्रावधान करने की वांछनीयता अथवा अन्य प्रकार की व्यवस्था की जांच करना; तथा

(iv) ऐसे तथ्यों की जो उन्हें प्राप्त हुए हैं, रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा ऐसी सिफारिशें करना जिन्हें वे उचित समझते हैं।

4. आयोग अधिक से अधिक 31 दिसम्बर, 1979 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा।

लोक लेखा समिति

104वां प्रतिवेदन

श्री पी० वी० नरसिम्हा राव (हनमकोंडा) : महोदय, मैं वर्ष 1976-77 के विनियोग लेखाओं (सिविल) में उल्लिखित स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों से अधिक व्यय और वर्ष 1975-76 के स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों से अधिक व्यय के बारे में लोक लेखा समिति के 38वें प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में लोक लेखा समिति का 104वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

पाकिस्तानी एजेंटों के पकड़े जाने के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 248, के 6 दिसम्बर 1978 को दिये गये उत्तर के शुद्ध करने वाला वक्तव्य

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : श्री बी० पी० मंडल जो 3 गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी एजेन्टों के बारे में और अधिक सूचना जानना चाहते थे द्वारा एक पूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि वे पार-पत्र लेकर आये थे और उन्हें पार-पत्र अधिनियम तथा विदेशी व्यक्ति अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किया गया था।

बाद में उपलब्ध हुई विस्तुत सूचना से प्रकट होता है कि इन व्यक्तियों ने बिना वैध यात्रापत्रों के अनाधिकृत रूप से भारत में प्रवेश किया था। उनके विरुद्ध विदेशी व्यक्ति अधिनियम की धारा 14 तथा पार-पत्र अधिनियम की धारा 3/12 के अधीन अपराध दर्ज किए गए हैं। मामलों की जांच पड़ताल की जा रही है।

अतः उपर्युक्त उत्तर को संशोधित किया जाए और इस प्रकार पढ़ा जाए :—

"पाकिस्तानी भारत में अनाधिकृत रूप से घुसे थे और उनके विरुद्ध पार-पत्र अधिनियम तथा विदेश व्यक्ति अधिनियम के अधीन मामलों की जांच-पड़ताल की जा रही है।"